# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्याः टी.ए. 68/2015**

**पंजीयन दिनांकः 19.11.2015**

1. बद्रीलाल पिता किशना जाति जाट निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. जगदीश पिता भेरा जाति चमार निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. भंवरलाल पिता भेरा जाति चमार निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. मिठु पिता छगन जाति नाई निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. रतन पिता छगन जाति नाई निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. श्यामलाल पिता छगन जाति नाई निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
7. शोकिन पिता मोहनगिरी जाति गोस्वामी निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
8. शम्भुगिरी पिता मोहनगिरी जाति गोस्वामी निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
9. मांगीलाल पिता हरलाल जाति जाट निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

**–अपीलान्टगण**

**बनाम**

1. कालु पिता जेराम जाति गायरी निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. खेमराज पिता जेराम जाति गायरी निवासी कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

**–रेस्पोडन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 16/2014 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.10.15

उपस्थित वक्त बहसः 1. खुमराज कुमावत – अधिवक्ता अपीलान्टगण

2. रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

**निर्णय**

**दिनांक 21.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 679,680,681,683,684,685,718,723,726 कुल किता 9 कुल रकबा 4.67 हैक्टेयर स्थित है जो रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के खातेदारी मे है। जिसमे रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के पशु चरते है, जिसमे अपीलान्टगण विपक्षीगण आराजी नम्बर 679 रकबा 0.84 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने के आशय से पत्थर डालकर बाडे एवं मकानात का निर्माण करना चाहते है। जिनको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के खातेदारी मे निर्माण नही करे व रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जांकर अपीलान्टगण विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट विपक्षीगण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात पर अपीलान्टगण विपक्षीगणो का पूर्वजो से कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी आबादी क्षैत्र के पास होकर मकानात व बाडे बना रखे है। पूर्वजो के समय से ही परिवार सहित निवास कर रहे है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का इस जमीन पर कभी भी कब्जा नही रहा है। बिना कब्जा के दावे व प्रार्थना नपत्र चलने योग्य है। इसी आराजीयात बाबत् रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के पिता जेराम ने दिनांक 16.07.1984 को कब्जेयाबी का दावा किया था जो दिनांक 23.06.1987 को अपीलान्ट विपक्षीगण के पिता छगन नाई, मोहनगिर वगैरह के खिलाफ हुआ जो खारीज हो चुका है उसकी अपील नही की है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र व प्रार्थना पत्र बिना कब्जे के चलने योग्य नही है। अपर जिला न्यायाधीश निम्बाहेडा मे विपक्षीगण अपीलान्टगण के खिलाफ आदेश 39 नियम 1 व 2 जाप्ता दिवानी के तहत रेस्पोडेन्टगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया जो अपर जिला न्यायाधीश निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 07.04.2014 को खारीज हो चुका है। अपीलान्ट विपक्षीगण की ओर से जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया, व बहस कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खातेदार होने के आधार पर स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 19.10.2010 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण विपक्षीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध की जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्टगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण विपक्षीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर स्वीकार किया है। अपील व बहस मे यह भी निवेदन किया कि अपीलान्टगण विपक्षीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया व यह निवेदन किया कि मौजा कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा की कृषि आराजी नम्बर 679 रकबा 0.84 हैक्टेयर पर अपीलान्ट विपक्षीगण का अपने पूर्वजो से कब्जा चला आ रहा है। उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्टगण की ओर से अपर जिला एवं सेंशन न्यायालय निम्बाहेडा के न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत हुआ। वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 जाप्ता दिवानी अपीलान्टगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जो अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश निम्बाहेडा के द्वारा दिनांक 07.04.2014 को उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलान्टगण विपक्षीगण का कब्जा होना मानते हुए निरस्त किया गया है। इन्ही आराजीयात के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्टगण के पिता द्वारा अपीलान्टगण विपक्षीगण के पिता का कब्जा होना मानते हुए कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण सं. 69/84 निर्णय दिनांक 23.06.1987 को निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील आज दिनांक तक जेराम व उसके वारिस रेस्पोडेन्टगण के द्वारा नही की गई है जिससे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने बिना कब्जे के स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य था। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 679 रकबा 0.84 हैक्टेयर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज होना मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश जो एक तरफा मे पारित किया गया है के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट विपक्षीगण की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अपीलान्टगण विपक्षीगण के जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज व राजस्व रेकार्ड के दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 679 रकबा 0.84 हैक्टेयर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है जिसमे सोहनी पत्नि जेराम भी खातेदार है। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

खातेदारी की आराजीयात पर अपीलान्ट्गण विपक्षीगण को किसी प्रकार दखलंदाजी करने का अधिकार नही बनता है। उक्त वादपत्र व निर्णय के पूर्व अपर जिला एवं सैशन न्यायालय निम्बाहेडा के न्यायालय मे वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र क्रमांक 36/2014 निर्णय दिनांक 07.04.2014 से अपर जिला एवं सैशन न्यायालय निम्बाहेडा द्वारा निरस्त किया गया है। अपीलान्ट्गण विपक्षीगण की ओर से जवाब के साथ दस्तावेज बहनामा की फोटो प्रति अपर जिला सैशन न्यायालय के द्वारा मंगाई गई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पत्रावली मे नामान्तकरण सं. 639 प्रस्तुत किया गया है जिसमे जेराम पिता नन्दा 1/2 का खातेदार रहा है। जेराम की मृत्यु के पश्चात् नामान्तकरण स्वीकृत होकर खेमा कालु रतन पिता जेराम सोली बेवा जेराम के नाम स्वीकृत हुआ है। जिससे उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। खातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत अजनबी व्यक्ति के विरूद्ध वादपत्र लाने का अधिकार है। अपीलान्ट्गण विपक्षीगण की ओर से जो दस्तावेज अपीलान्ट्गण विपक्षीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र मे प्रस्तुत किये गये है उन सभी दस्तावेजो का विश्लेषण क्रिया जाकर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। मूलवाद का निस्तारण किये जाने तक विवादग्रस्त आराजीयात की यथास्थिति को कायम किया जाना न्यायोचित होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट्गण विपक्षीगण को विवादग्रस्त आराजीयात के भौतिक स्वरूप मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करने का आदेश पारित किया है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 19.10.2010 विधि अनुरूप होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। अपीलान्ट्गण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्गण विपक्षीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 16/2014 निर्णय व आदेश दिनांक 19.10.2010 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)